न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या
मैनुअल नं. 43/अपील/2025
(GCMS No. 2025/120)

प्रविष्टि दिनांक
08.09.2025

निर्णय दिनांक
29.12.2025

रामदेव आ. स्व. रंगलाल जाति मीणा,
निवासी ग्राम देहित, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

– अपीलांट

बनाम

1. मोरध्वज आ. स्व. रंगलाल जाति मीणा, नि.ग्राम देहित, तह. तालेडा
2. मोरध्वज आ. स्व. रंगलाल जाति मीणा, नि.ग्राम देहित, तह. तालेडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से श्री संजय राजवंशी, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 1, 2 की ओर से श्री बृजमोहन गौत्तम, एडवोकेट।
रेस्पो. सं. 3 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांटस ने तहसीलदार तालेडा द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं. 769 दिनांक 27.05.1992 ग्राम देहित से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण खातेदार रंगलाल आ. खाना मीणा के देहान्त के बाद विरासत के आधार पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 43/2025 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS N0. 2025/120 पर इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी।

जिला कलक्टर, बून्दी

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि खसरा सं. 460, 1846, 2617, 2622, 2635, 2695 कुल किता 6 कुल रकबा 29 बीघा 05 बिस्वा वाकेग्राम देहित में स्थित कृषि भूमि के खातेदार रंगलाल आ. खाना जाति मीणा था। अपीलांट मृतक रंगलाल का बड़ा पुत्र है जबकि रेस्पो.सं. 1 व 2 पुत्र व पुत्री है। पक्षकारान की जाति मीणा है जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आती है। मीणा जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। इसलिए पुत्र जीवित होने पर मृतक रंगलाल की सम्पत्ति में पुत्री का हिस्सा नहीं होता है। किन्तु खातेदार रंगलाल मीणा का देहान्त हो जाने से फौती इन्तकाल सं. 769 दिनांक 27.05.1992 खोला गया, जो कानूनी भूलवश एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्व रिकार्ड में रेस्पो.सं. 2 का नाम दर्ज हो जाने का नाजायज लाभ उठाकर बिना विधिक अधिकार के रेस्पो.सं.2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा बेचान करने पर आमादा है। इसलिए रेस्पो.सं. 2 का नाम उक्त नामान्तरकरण से हटाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपीलांट को दिनांक 13.08.2025 को जानकारी हुयी कि रेस्पो.स. 2 अपने हिस्से की कृषिभूमि का बेचान करना चाहती है तो अपीलांट ने अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर दिनांक 14.08.2025 को नकल का आवेदन लगाया, जिसकी नकल अपीलांट को दिनांक 27.08.2025 को प्राप्त हुयी। अपील नकल प्राप्ति से अवधि मध्य पेश की गई है तथा धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ अलग से प्रस्तुत है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं.1 व 2 ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलांट को उक्त फोती नामान्तरकरण की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है। अपीलांट खातेदार रंगलाल का पुत्र है जिसको अपने पिता रंगलाल के देहान्त के बाद फोती इन्तकाल में अपनी माता एवं भाई बहिन रेस्पो.सं.1 व 2 के साथ उसका नाम दर्ज होने की शुरू से ही पूरी जानकारी रही है, फिर भी नामान्तरकरण खुल जाने के 33 साल बाद यह अपील पेश की गई है, जिसके विलम्ब का कोई कारण अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। अपीलांट ने दिनांक 13.08.2025 को जानकारी होना प्रार्थना पत्र में अंकित किया है किन्तु उक्त तिथि को किसके माध्यम से, किस प्रकार जानकारी हुई, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। ऐसे में जानकारी की दिनांक के बारे में अंकित किया गया तथ्य मनगंढन्त एवं सरासर गलत है। अभिभाषक रेस्पो.सं. 1, 2 द्वारा अपीलांट की ओर से पेश की गई अपील अवधि बाधित होने से बिना मेरिट पर सुने मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे प्रकट है कि ग्राम देहित की आराजी किता 5 कुल रकबा 29 बीघा 05 बिस्वा का खातेदार रंगलाल पुत्र खाना जाति मीणा था। खातेदार रंगलाल के देहान्त के बाद विरासत का नामान्तरकरण सं. 769 दिनांक 28.05.1992 उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तरकरण से असंतुष्ठ होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 27.05.1992 की जानकारी दिनांक 13.08.2025 को होना तथा दिनांक 27.08.2025 को नकल प्राप्त होना प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया है। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 03.09.2025 को इस न्यायालय में पेश की गई।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट ने स्वयं को खातेदार रंगलाल का पुत्र होना तथा अपने पिता रंगलाल के देहान्त के बाद फोती इन्तकाल में रेस्पो.सं.1 व 2 के साथ उसका नाम दर्ज होना स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में अपीलांट को अपने स्वयं खाते के राजस्व रिकार्ड के बारे में 33 वर्ष तक कोई जानकारी नहीं रही हो, यह कथन विश्वसनीय नहीं है। जबकि अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण की जानकारी होने पर नियमानुसार 30 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी, जो निर्धारित समय में पेश नहीं की गई, अपितु विलम्ब से अपील पेश की गई है, जिसके विलम्ब के संबंध में कोई संतोषजनक कारण भी नही बताया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में अपील पेश करने में हुये गंभीर विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, जबकि अपील अन्दर मियाद स्वीकार किए जाने हेतु काननून दिन–प्रतिदिन के विलम्ब का विश्वसनीय एवं संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया जाना अपरिहार्य है। ऐसे में हस्तगत अपील में मियाद कन्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप अपील के गुणावगुणों पर बिना कोई टिप्पणी किये अपील अपीलांटस मियाद बाहर पेश होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 29.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी